तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.s.Act Case No.03/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.11.2022	पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (बदाराम माली पुत्र गेनाराम माली, जाति– माली, निवासी– लक्ष्मण टेकरी गली, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म मां जगदम्बा किराणा स्टोर्स, मेन बाजार, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही) अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या: 2 (निलेश कुमार अग्रवाल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म ओम ट्रेडिंग कम्पनी, मेन मार्केट, नामदेव चौक, हनुमान मन्दिर के सामने वाली गली, सुमेरपुर, जिला– पाली) अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 (क्रमशः सुरेश कुमार एवं प्रज्ञापन्द सारस्वत पुत्र भोजराज सारस्वत, H 2, 21 to 26, Riico Ind. Area, Bikaner Road, Nagaur, खाद्य कारोबारकर्ता एवं भागीदार, फर्म Tirupati Traders, W/1st-14, Mandore Mandi, Jodhpur) के अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया उपस्थित। प्रतिवादी संख्या–5 (श्री बाबुलाल पटेल, खाद्यकारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, निर्माता फर्म गणपति इण्डस्ट्रीज, कृषि मण्डी के पास, सोजत रोड, बिलाडा, जिला–जोधपुर) अनुपस्थित। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 21.12.2020 को फर्म मां जगदम्बा किराणा स्टोर्स, मेन बाजार, जावाल, जिला– सिरोही मे प्रतिवादी बदाराम माली पुत्र गेनाराम माली, जाति–माली, निवासी– लक्ष्मण टेकरी गली, जावाल, जिला– सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर)(गणपति ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1333 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1092/Act/2020/67 दिनांक 07.1.2021 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 02.3.2022 को प्रतिवादी निलेश कुमार ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित हुये एवं प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 5 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये। प्रकरण में प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, जिन्होंनें बहस के दौरान प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्या[illegible] किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ [illegible]lse Moong Dal (मूंग मोगर)(गणपति [illegible] में न्याय निर्णयन आवेदन में वर्णि[illegible] के सामने ....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:26:59 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.s.Act Case No.03/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	निष्पादित नही की गई है एवं न ही ऐसी कोई कार्यवाही प्रतिवादी बदाराम माली के संस्थान पर निष्पादित की गई तथा न ही प्रतिवादी बदाराम माली को नमूना क्रय की राशि दी गई है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णय आवेदन में वर्णित प्रक्रिया नही अपनाई है तथा नमूना लेने की कार्यवाही विधि अनुरुप नही की गई है। आवेदक द्वारा Nabl Accredeted Lab से जांच कराने के संबंध में प्रतिवादीगण को कोई सूचना नही दी है तथा न ही खाद्य विश्लेषक, जोधपुर के जांच रिपोर्ट की प्रति प्रतिवादीगण को भिजवाई गई है, इस कारण से प्रतिवादी उक्त खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर)(गणपति ब्राण्ड) के नमूने के द्वितीय भाग की रेफरल लेब से जांच कराने के अधिकार से वंचित रहा है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 46 की उपधारा 4 का उल्लंघन है। आवेदक द्वारा प्रतिवादी Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर)(गणपति ब्राण्ड) का नमूना लेने की कार्यवाही सम्पादित नही करने से नमूना लेने की पूरी कार्यवाही संदेहास्पद है। यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही दोषपूर्ण व अवैध है। यह कि मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर)(गणपति ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु निर्माता फर्म जिम्मेदार है, क्योंकि लेबल पर त्रृटि निर्माता फर्म द्वारा की गई है, इसलिये प्रतिवादीगण को लेबल पर हुई त्रृटि के संबंध में दोषी नही ठहराया जा सकता है। यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों को सक्षम साक्ष्य से साबित नही करवाया है। यह कि F.S.S.A.I. द्वारा जारी परिपत्र जो भारत सरकार एवं सभी राज्य सरकारों को प्रेषित किया है उसमें मिथ्याछाप वाले प्रकरणों में संबंधित फर्म को लेबल पर हुई त्रृटि में सुधार का नोटिस दिया जाकर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया है। अतः आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.12.2020 को समय 3.15 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म मां जगदम्बा किराणा स्टोर्स, मेन बाजार, जावाल, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर की हैसियत से बदाराम माली पुत्र गेनाराम माली, जाति–माली, निवासी–लक्ष्मण टेकरी गली, जावाल उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर)(गणपति ब्राण्ड) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर)(गणपति ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने प[illegible] 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा ज[illegible]हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री [illegible] 5ए में विक्रेता / खाद्य [illegible]भरकर .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:26:59 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] बाजस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.s.Act Case No.03/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान में बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर)(गणपति ब्राण्ड) के 2 सील्ड पैक्ड बैग (प्रत्येक 30 किलोग्राम) में से खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर)(गणपति ब्राण्ड) के 30 किलोग्राम के एक सील्ड पैक्ड बेग को खोलकर उसे अच्छी तरह हिलामिलाकर एक रुप किया एवं इस एक रुप किये गये खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर)(गणपति ब्राण्ड) में से 4 किलोग्राम Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर)(गणपति ब्राण्ड) को एक साफ, सूखे, खाली भिगोने में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 340/– (अक्षरे रुपये तीन सौ चालीस मात्र) प्रतिवादी बदाराम माली को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1333, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर)(गणपति ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता बदाराम माली एवं गवाह के समक्ष खरीदशुदा Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर)(गणपति ब्राण्ड) को चार साफ, सूखे एवं खाली जारों में बराबर–बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक जार को ढक्कन से से एयरटाईट बन्द किया। प्रत्येक नमूना जार पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं एक नमूना जार के साथ Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर)(गणपति ब्राण्ड) का मूल लेबल लगाकर टेप से चिपकाया। चारों नमूना जारों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1333 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया [illegible] प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर [illegible] काकर लिफाफों को सील चपडी किया। [illegible] 22.12.2020 को नमूनें का [illegible] सील बन्द लिफाफा, भावना देवी, [illegible] कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा [illegible] विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म

.....लगातार

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:26:59 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.s.Act Case No.03/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कोतामिल मे जारी हुए

नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 21.12.2020 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार,, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म मां जगदम्बा किराणा स्टोर्स, मेन बाजार, जावाल में खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता बदाराम माली से खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर)(गणपति ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर)(गणपति ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1333 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1092/Act/2020/67 दिनांक 07.1.2020 के अनुसार खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर)(गणपति ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी बदाराम माली पुत्र गेनाराम माली, जाति–माली, निवासी–लक्ष्मण टेकरी गली, जावाल, जिला– सिरोही की फर्म मां जगदम्बा स्टोर्स, मेन बाजार, जावाल, जिला– सिरोही द्वारा खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर)(गणपति ब्राण्ड) के 30–30 किलोग्राम के सील्ड पैक्ड बेग जरिये बिल इनवोइस नम्बर 5477 दिनांक 07.12.20200 के द्वारा फर्म ओम ट्रेडिंग कम्पनी, हनुमान मन्दिर के सामने, सुमेरपुर, जिला– पाली से क्रय किये थे जो प्रतिवादी निलेश कुमार अग्रवाल की फर्म है। प्रतिवादी निलेश कुमार अग्रवाल की फर्म ओम ट्रेडिंग कम्पनी, सुमेरपुर द्वारा खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर)(गणपति ब्राण्ड) के सील्ड पैक्ड बैगों को फर्म Tirupati Traders, W/1st, Mandore Mandi, Jodhpur से क्रय किये थे जो प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की भागीदारी की फर्म है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की भागीदारी फर्म Tirupati Traders, W/1st, Mandore Mandi, Jodhpur द्वारा खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर)(गणपति ब्राण्ड) को फर्म गणपति इण्डस्ट्रीज, कृषि मण्डी के पास, सोजत रोड, बिलाडा, जिला– जोधपुर से जरिये बिल इनवोइस नम्बर 539 दिनांक 01.12.2020 के द्वारा क्रय किया गया था, जो खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर)(गणपति ब्राण्ड) की निर्माता फर्म है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर व विनिर्माता दोषी है। इस प्रकार,, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण/प्रतिवादी फर्म ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Split Puls[illegible] ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक [illegible] 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) [illegible] की धारा 52 के तहत [illegible]

.....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:26:59 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.s.Act Case No.03/2022**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कौतामिल मे जारी हुए
	अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर) (गणपति ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी बदाराम माली पुत्र गेनाराम माली, जाति– माली, निवासी– लक्ष्मण टेकरी गली, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म मां जगदम्बा किराणा स्टोर्स, मेन बाजार, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 1,000/– (अक्षरे रुपये एक हजार मात्र) की एवं प्रतिवादी निलेश कुमार अग्रवाल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म ओम ट्रेडिंग कम्पनी, मेन मार्केट, नामदेव चौक, हनुमान मन्दिर के सामने वाली गली, सुमेरपुर, जिला– पाली पर राशि रुपये 1,000/– (अक्षरे रुपये एक हजार मात्र) तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 क्रमशः सुरेश कुमार एवं प्रज्ञापन्द सारस्वत पुत्र भोजराज सारस्वत की भागीदारी फर्म Tirupati Traders, W/1st-14, Mandore Mandi, Jodhpur पर राशि रुपये 1,000/– (अक्षरे रुपये एक हजार मात्र) की तथा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong Dal (मूंग मोगर) (गणपति ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु प्रतिवादी बाबुलाल पटेल की फर्म गणपति इण्डस्ट्रीज, कृषि मण्डी के पास, सोजत रोड, बिलाडा, जिला– जोधपुर पर राशि रुपये 1,000/– (अक्षरे रुपये एक हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 21.12.2022 को पेश हो। (के.आर.खौड़) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:26:59 IST
Reason: SelfAttested